

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र-2,
समुदाय केन्द्र प्रीत बिहार,
नई दिल्ली-110092।

पत्रांक: सी०बी०एस०ई०/ 2571-78

/2025-26 दिनांक-5/6/2025

विषय - सेन्ट मैरी इण्टरनेशनल स्कूल, सिधवार, तहसील फरेन्दा, जनपद-महाराजगंज को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सेन्ट मैरी इण्टरनेशनल स्कूल, सिधवार, तहसील फरेन्दा, जनपद-महाराजगंज को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर शासनादेश संख्या-2762/15-13-91-4-46)91 दिनांक 30 नवम्बर 1991, शासनादेश संख्या-1915/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 एवं राजाज्ञा संख्या-2144/15-07-2020-1(34)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-07 लखनऊ दिनांक 07.01.2021 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 04.06.2025 में लिए गये निर्णय के अनुसार संस्था को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है :-

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।
- (झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (ञ) उपर्युक्त कम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
- (ट) उपर्युक्त कम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्कूल बस में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा हेतु जारी निर्देश संख्या CBSE/AFF/Circular-8/2017/1217401 दिनांक 23.02.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त विद्यालय वो मानक के अन्तर्गत दिये गये परिशिष्ट-3 के कम 5, 6, जो निम्नवत् है :-

संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता ही होगी, जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में वर्णित हो मुख्यतः कक्षा 12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा 10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा 11 से 12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होने जिसमें शिक्षण

Principal
St. Mary's International School
167, Sidhwar, Pharenda
Maharajganj (U.P.)

Manager
St. Mary's International School
167, Sidhwar, Pharenda
Maharajganj (U.P.)

कार्य किया जाना हो। कक्षा-9-10 में पढ़ाने वाले अध्यापक संबंधित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक अध्यापक स्नातक एवं प्रशिक्षित होने के साथ ही साथ CTET UPTET जूनियर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा-1 से 5 तक शिक्षण के लिये स्नातक बी०टी०सी० प्रशिक्षण के साथ CTET अथवा UPTET प्राथमिक स्तर या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

संस्था द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेंगी, जिसमें परीक्षा काल स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम पेंशन, ग्रेजुटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म, जाति भाषा एवं लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारी के अनुरूप होना चाहिए।

संस्था द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वहीं वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाते हैं, किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त संस्था द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में संशोधित/परिवर्तित/परिवर्धित अन्य शर्तों को भी पूरा किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा यदि इस संबंध में संस्था द्वारा कोई तथ्य गोपन किया गया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार शासनादेश संख्या-2762/15-13-91-4 (46)/91 दिनांक 30 नवम्बर 1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

भवदीय,

(सतीश सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या:सी०बी०एस०ई०/

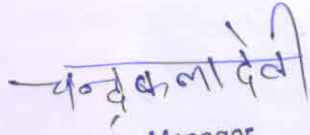
/2025-26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- ✓ 1-सचिव माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2-आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 3-शिक्षा निदेशक (मा०), शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ, उ०प्र०।
- 4-जिलाधिकारी, महाराजगंज।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, महाराजगंज।
- 6-निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7-प्रबन्धक, सेंट मैरी इण्टरनेशनल स्कूल, सिधवार, तहसील फरेन्दा, जनपद-महाराजगंज।
- 8-गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।


Principal
St. Mary's International School
167, Sidhwar, Pharenda
Maharajganj (U.P.)


Manager
St. Mary's International School
167, Sidhwar, Pharenda
Maharajganj (U.P.)